

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(6)गृह-1/2024 (20504)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.02.2025 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल की वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को सलेक्शन स्केल से सुपरटाईम स्केल में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्रं. सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1.	श्री मुकेश कुमार सांखला	एस.सी.	01.04.2024
2.	श्री हिमांशु	एस.सी.	01.05.2024
3.	श्री सीता राम/भंवर लाल	एस.सी.	01.07.2024

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। उक्त पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे।

उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश राजोरिया)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

